रजिस्ट्री सं. डी.एल.--33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकारसेप्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127] दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2014/आश्विन 7, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 111

No. 127] DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2014/ASVINA 7, 1936 [N.C.T.D. No. 111

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानीराज्य क्षेत्र दिल्लीसरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

(महिला सशक्तिकरण सैल)

अधिसूचना

दिल्ली, 29 सितम्बर, 2014

सं. 60(59)/म.बा.वि.वि./स.नि.म.स.प्र./खण्ड 4/22773–789.—दिल्ली महिला आयोग अधिनियम, 1994 (दिल्ली अधिनियम 1994 की संख्या 8) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार श्रीमती अर्चना अरोड़ा को दिल्ली महिला आयोग के सदस्य सचिव के पद पर पूर्व निर्धारित नियमों एव शर्तो पर दिनांक 1.10. 2014 से 30.09.2017 तक, तीन वर्ष के लिए मनोनीत करती हैं । जिसके नियम एव शर्ते सरकार द्वारा आने वाले समय में निर्धारित किये जाएगें ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के नाम एवं आदेश से,

सतबीर बेदी, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(WOMEN EMPOWERMENT CELL)

NOTIFICATION

Delhi, the 29th September, 2014

No. 60(59)/DWCD/ADWEC/Vol.-IV/22773-789.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi Commission for Women Act, 1994 (Delhi Act 8 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby nominates Ms. Archna Arora as Member Secretary of Delhi Commission for Women for a period of 3 years i.e. from 01.10.2014 to 30.09.2017 on the terms and conditions which will be settled by the Government in due course.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital territory of Delhi

SATBIR BEDI, Pr. Secy.

अधिप्रमाणित

हरिभाई परथीभाई चौधरी
गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

गृह–1 (पुलिस)/स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 सितम्बर, 2014

फा. सं. 16/10/2013/गृ.पु–1/स्थापना/4093–4095.—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उप–धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 31 जुलाई, 1986 की अधिसूचना संख्या फा. 5/46/84–गृ. (पु.)/स्था. के अनुसार प्रकाशित एम.टी. स्टोरकीपर (एएसआई) तथा एमटी फिटर ग्रेड–2 (प्रधान सिपाही) (वैल्डर) के पद से संबंधित तथा दिनांक 13 मई, 1988 की अधिसूचना संख्या 5/46/84–गृ.(पु.)/स्था. के द्वारा एमटी फिटर ग्रेड–2 (प्रधान सिपाही) (वैल्डर) के पद के लिये आंशिक रूप से संशोधित भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाये जाने के लिये की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1 संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ (1) इन नियमों को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2014 कहा जा सकेगा।

(2) यह दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

2. नियम 17–क का संशोधन दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में नियम 17–क में, परिषिष्ट "क" में–

अनुसूची

1.	पदनाम	:	एम. टी. स्टोरकीपर (एएसआई)
2.	पदों की संख्या	:	04* (2014) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	समूह 'ग' (अराजपत्रित) (तकनीकी)
4.	वेतनमान	:	पे बैंड–I, 5200–20200/–रुपये + ग्रेड पे 2800/–रुपये
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18 से 35 वर्ष के बीच, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विभागीय उम्मीदवारों के लिये 40 वर्ष तक षिथिलनीय। इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेषों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये षिथिलनीय। नोट:–आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा	:	(क) 10+2 उत्तीर्ण अथवा समकक्ष;

	अन्य योग्यताएँ		(ख) प्रतिष्ठित फर्म, संगठन या सरकारी विभाग में एमटी स्टोर से संबंधित एमटी स्टोर प्रलेखन को संभालने/कम्प्यूटर ऑपरेट करना, पी.सी बंद करना, प्रिंटिंग, एमएस ऑफिस उपयोग करना, टंकित सामग्री को संचय करना और आशोधन करना, पैरा सेटिंग, नम्बरिंग तथा वस्तु सूची प्रणाली प्रबंधन में पाँच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; (ग) प्रत्याशी का स्वास्थ्य अच्छा हो वह किसी रोग, त्रुटि/दोष या विकृति/विकलांगता से मुक्त हो; (घ) बिना चश्में के 6/6 बेहतर दृष्टि, खराब आंखे 6/36 जो चश्में के साथ 6/9 तक दोष सुधार या चश्में के बिना (दोनों आंखे) 6/12, प्रत्याशी रंग–अंधता से मुक्त हो।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती
11.	यदि पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	:	**(i) पदोन्नति : कम्प्यूटर प्रचालन का अच्छा ज्ञान रखने वाले** पे बैंड–1, 5200–20200 रूपये जमा ग्रेड पे 2400/– रूपये में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके स्थाई एम.टी. (स्टोर क्लर्क) प्रधान सिपाही, (एम.टी. वर्कशाप क्लर्क) प्रधान सिपाही तथा एम.टी. प्रधान सिपाही (प्रचालन) में से पदोन्नति। (ii) हाल ही का वैध वाहन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। **जिसके न होने पर :–** **(i) पदोन्नति :** पे बैंड–1, 5200–20200 रूपये जमा ग्रेड पे 2400/– रूपये में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके स्थाई एम.टी. फिटर ग्रेड–2 प्रधान सिपाही (मैट्रीकुलेट), इलैक्ट्रीशियन, बैटरी चार्ज मैन, कारपेटर, वाहन मकेनिक, वैल्डर, पेंटर, डेंटर, अपहोल्सटर, टायरमैन, ब्लैक स्मिथ, टिन स्मिथ, टर्नर, डोर लॉक स्मिथ में से पदोन्नति। (ii) हाल ही का वैध वाहन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी **संरचना क्या है?**	:	(1) 'ग' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति पदोन्नति के मामले में दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थायीकरण) नियमावली, 1980 के नियम 8 में यथा उपबन्धित सूची 'घ' (तकनीकी) (2) सीधी भर्ती के मामले में उक्त नियमावली के नियम 8 में यथा उपबन्धित चयन बोर्ड
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं ।

(ख) एमटी फिटर ग्रेड–2 (प्रधान सिपाही) (वैल्डर) के पद के लिये मद संख्या (XII) के लिये तालिका तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची तथा इससे संबंधित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी:–

अनुसूची

1.	पदनाम	:	एम. टी. फिटर ग्रेड–2 (प्रधान सिपाही) (वैल्डर)
2.	पदों की संख्या	:	04* (2014) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	समूह 'ग' (अराजपत्रित) (तकनीकी)
4.	वेतनमान	:	पे बैंड–I, 5200–20200/–रुपये + ग्रेड पे 2400/–रुपये
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18 से 35 वर्ष के बीच; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विभागीय उम्मीदवारों के लिये 40 वर्ष तक षिथिलनीय। इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये षिथिलनीय। नोटः–आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति

			जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताऍ	:	(क) 10+2 उत्तीर्ण अथवा समकक्ष; (ख) एक वर्षीय अनुभव सहित वैलडिंग के ट्रेड में आई.टी.आई./ प्रशिक्षु प्रमाण–पत्र (ग) प्रत्याशी का स्वास्थ्य अच्छा हो वह किसी रोग, त्रुटि/दोष या विकृति/विकलांगता से मुक्त हो; (घ) बिना चश्में के 6/6 बेहतर दृष्टि, खराब आंखे 6/36 जो चश्में के साथ 6/9 तक दोष सुधार या चश्में के बिना (दोनों आंखे) 6/12, प्रत्याशी रंग–अंधता से मुक्त हो।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	:	पदोन्नति : पांच वर्ष की सेवा सहित स्थाई एम.टी. हैल्पर सिपाही, वैल्डर/ब्लेक स्मिथ में से पदोन्नति। जिसके न होने पर पदोन्नति ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित एम.टी. हैल्पर, इलैक्ट्रीषियन, कारपेटर, वाहन मकेनिक, पेंटर, डेंटर, बैटरी चार्ज मैन, अपहोल्सटर, टायरमैन, टिन स्मिथ, डोर स्मिथ (सिपाही) में से पदोन्नति। इन एम.टी. हैल्पर सिपाहियों को सीएमटी कार्यषाला में आयोजित किए जाने वाले तीन माह के मूलभूत कार्यषाला मिश्रधातु व्यवसायों का प्रषिक्षण लेना व उत्तीर्ण करना होगा।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	(1) 'ग' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति पदोन्नति के मामले में दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थायीकरण) नियमावली, 1980 के नियम 8 में यथा उपबन्धित सूची 'ख' (तकनीकी (2) सीधी भर्ती के मामले में उक्त नियमावली के नियम 8 में यथा उपबन्धित चयन बोर्ड
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं ।

(ख) एमटी फिटर ग्रेड–2 (प्रधान सिपाही) (वैल्डर) के पद के लिये मद संख्या (ग्प्) के लिये तालिका तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची तथा इससे संबंधित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी:–

अनुसूची

1.	पदनाम	:	एम. टी. फिटर ग्रेड–2 (प्रधान सिपाही) (वैल्डर)
2.	पदों की संख्या	:	04* (2014) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	समूह 'ग' (अराजपत्रित) (तकनीकी)
4.	वेतनमान	:	पे बैंड–I, 5200–20200/–रुपये + ग्रेड पे 2400/–रुपये
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18 से 35 वर्ष के बीच, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विभागीय उम्मीदवारों के लिये 40 वर्ष तक षिथिलनीय। इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये षिथिलनीय। नोट:–आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	(क) 10+2 उत्तीर्ण अथवा समकक्ष; (ख) एक वर्षीय अनुभव सहित वैलडिंग के ट्रेड में आई.टी.आई./प्रषिक्षु प्रमाण–पत्र

			(ग) प्रत्याशी का स्वास्थ्य अच्छा हो वह किसी रोग, त्रुटि/दोष या विकृति/विकलांगता से मुक्त हो; (घ) बिना चश्में के 6/6 बेहतर दृष्टि, खराब आंखें 6/36 जो चश्में के साथ 6/9 तक दोष सुधार या चश्में के बिना (दोनों आंखे) 6/12, प्रत्याशी रंग–अंधता से मुक्त हो।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	:	पदोन्नति : पांच वर्ष की सेवा सहित स्थाई एम.टी. हैल्पर सिपाही, वैल्डर/ब्लैक स्मिथ में से पदोन्नति। जिसके न होने पर पदोन्नति ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित एम.टी. हैल्पर, इलैक्ट्रीशियन, कारपेंटर, वाहन मकेनिक, पेंटर, डेंटर, बैटरी चार्ज मैन, अपहोल्सटर, टायरमैन, टिन स्मिथ, डोर स्मिथ (सिपाही) में से पदोन्नति। इन एम.टी. हैल्पर सिपाहियों को सीएमटी कार्यशाला में आयोजित किए जाने वाले तीन माह के मूलभूत कार्यशाला मिश्रधातु व्यवसायों का प्रशिक्षण लेना व उत्तीर्ण करना होगा।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	(1)'ग' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति पदोन्नति के मामले में दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थायीकरण) नियमावली, 1980 के नियम 8 में यथा उपबन्धित सूची 'ख' (तकनीकी (2) सीधी भर्ती के मामले में उक्त नियमावली के नियम 8 में यथा उपबन्धित चयन बोर्ड
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
जी. पी. सिंह, अपर सचिव (गृह)

AUTHENTICATED BY
HPC
HARIBHAI P. CHAUDHARY
Minister of State for Home Affairs
Govt. of India,
North Block, New Delhi

HOME-I (POLICE)/ ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 29th September 2014

F. No. 16/10/2013/HP-I/Estt./4093 to 4095.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (I) and (2) of Section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), and in supersession of Recruitment Rules relating to the post of M.T. Storekeeper (ASI), and M.T.Fitter Grade-II (Head Constable) (Welder), published *vide* Notification No. F. 5/46/84-H(P)/Estt. dated 31st July, 1986 and partialy amended vide Notification No.F.5/46/84/Home (P)/Estt. Dated 13th May, 1988 for the post of M.T.Fitter Grade-II (Head Constable) (Welder), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes following rules, further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, namely:—

1. Short title and commencement: (1) These rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2014.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of Rule 17-A: In the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, in rule 17-A in Appendix 'A'—

(a) Table for items No. (VII) for the post of M.T. Storekeeper (ASI) and entries relating thereto, the following schedule and entries relating thereto shall be substituted, namely;

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay

3924 DG/14-2

			Scale
1	2	3	4
M.T. Store keeper (ASI)	04* (2014)* Subject to variation dependent on work load	Group 'C' (Non-Gazetted) (Technical	PB-1, Rs.5200-20200/- plus Grade Pay-Rs. 2800/-
Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.
5	6	7	8
Non-selection post	Between 18 to 35 years, relaxable upto 40 years for Scheduled Caste/Scheduled Tribes and departmental candidates. For ex-servicemen as per Government order issued from time to time in this regard. Note:. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of J&K State, Lahul & Spiti Distt. and Pangi Sub-Division of Chamba Distt. of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar and Island of Lakshadweep)	(a) 10+2 Pass or equivalent; (b) five years practical experience in handling of M.T.Store documentation connected with M.T.Store in a reputed firm, Organization or Government department/Computer operating, closing of P.C., Printing, MS Office uses, saving and modification in typed text, paragraph, setting, numbering and inventory system management; (c) The candidate should be of sound health, free from disease/defect and deformity; (d) Better eye 6/6 without glasses. Worse eye 6/36 corrected with glasses to 6/9 or 6/12 without glasses (both eyes). The candidate should be free from colour blindness.	Not applicable

Period of probation, if any,	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotions/deputation/ absorption to be made.
9	10	11
Two years.	By promotion, failing which by direct recruitment.	(i) Promotion: From amongst confirmed M.T.(Store Clerk) Head Constables,(MT Workshop clerk)Head Constables and MT Head Constables (Operational) having completed five years regular service in the Pay Band-1, Rs.5200-20200/-plus Grade Pay Rs.2400/-. Having the good knowledge of Computer operating. (ii) Should possess current valid vehicles driving licence. **Failing which:-** (i) Promotion: From amongst confirmed MT Fitter Grade-II Head Constables (Matriculate), Electrician, Battery Chargeman, Carpenter, Vehicle mechanic, Welder, Painter, Denter, Upholster, Tyreman, Black smith, Tin smith, Turner and Door Lock smith having completed five years regular service in the Pay Band-1, Rs.5200-20200/- plus Grade Pay Rs.2400/-. (ii) Should possess current valid vehicles driving licence.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
(i) Group 'C' Departmental Promotion Committee List 'D' (Technical) as provided in rule 8 of Delhi Police (Promotion and Confirmation) Rules, 1980, in case of promotion. (ii) Selection Board as provided in rule 8 of the said rules, in case of direct recruits.	Not applicable

(b) Table for items No. (XII) for the post of M.T. Fitter Grade-II (Head Constable) (Welder) and entries relating thereto, the following schedule and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale
1	2	3	4
M.T. Fitter Grade-II (Head Constable) (Welder)	04* (2014)* Subject to variation dependent on work load	Group 'C' (Non-Gazetted) (Technical)	PB-1, Rs.5200-20200/- plus Grade Pay-Rs.2400/-

Whether selection post of non-selection post	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.
5	6	7	8
Non-selection post.	Between 18 to 35 years, relaxable upto 40 years for Scheduled Caste/Scheduled Tribes and departmental candidates. For ex-servicemen as per Government order issued from time to time in this regard. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of J&K State, Lahul & Spiti Distt. and Pangi Sub-Division of Chamba Distt. of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar and Island of Lakshadweep)	(a) 10+2 Pass or equivalent; (b) ITI/Apprenticeship certificate in the trade of welding with one year experience; (c) The candidate should be of sound health, free from disease/defect and deformity; (d) Better eye 6/6 without glasses. Worse eye 6/36 corrected with glasses to 6/9 or 6/12 without glasses (both eyes). The candidate should be free from colour blindness.	Not applicable.

Period of probation, if any,	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotions/deputation/ absorption to be made.
9	10	11
Two years.	By promotion, failing which by direct recruitment.	Promotion: From amongst confirmed M.T.Helper Constables, Welder/ Blacksmith with five years service failing which promotion from amongst confirmed MT Helper Electrician, Carpenter, Vehicle Mechanic, Painter, Denter, Battery Chargeman, Tyreman, Upholster, Tin Smith and Door Smith (Constables) with five years service in the grade. These MT Helper Constables has to under go and pass three months Basic Workshop alloy trades training to be conducted in CMT workshop.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
12	13
(i) Group 'C' Departmental Promotion Committee List 'B' (Technical) as provided in rule 8 of Delhi Police (Promotion and Confirmation) Rules, 1980, in case of promotion. (ii) Selection Board as provided in rule 8 of the said rules in case of direct recruits.	Not applicable

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

G. P. SINGH, Addl. Secy. (HOME)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.